F.No. 15-74/1/NMA/HBL-2021

Government of India
Ministry of Culture
National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Javari Temple, Khajuraho, District- Chhatarpur, Madhya Pradesh" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:

i. National Monuments Authority **www.nma.gov.in**
ii. Archaeological Survey of India **www.asi.nic.in**
iii. Archaeological Survey of India, Bhopal Circle **www.asibhopal.nic.in**

2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID **hbl-section@nma.gov.in** latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.

3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.T.Paite)
Director, NMA
11th August, 2021

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश के लिये धरोहर उप-विधि

Heritage Byelaws for **Javari Temple, Khajuraho, District- Chhatarpur, Madhya Pradesh**

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, जवारी मंदिर खजुराहों जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप -विधि

अध्याय I

प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक, जवारी मंदिर खजुराहों जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं-

(1) इन उप-नियमों में**,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**:-**

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिलालेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या कवर करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पद (रैंक) का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त के रैंक से नीचे न हो या समतुल्य रैंक का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न-भिन्न सक्षम प्राधिकारी

विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी शामिल है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लॉट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक- उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूल रूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2. अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में

किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क)कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो,ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करसकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण,अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है,जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग)सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक - जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति :

- स्मारक के जीपीएस निर्देशांक निम्नानुसार है: 24°50'57.92" उत्तरी अक्षांश: 79°56'7.04" पूर्वी देशांतर।
- जवारी मंदिर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो की पूर्व दिशा में स्थित एक सुंदर तीर्थस्थान है। स्मारकों के अन्य पूर्वी समूह के साथ मौजूद यह शहर के प्रमुख पर्यटक आकर्षण बिंदु में से एक है।

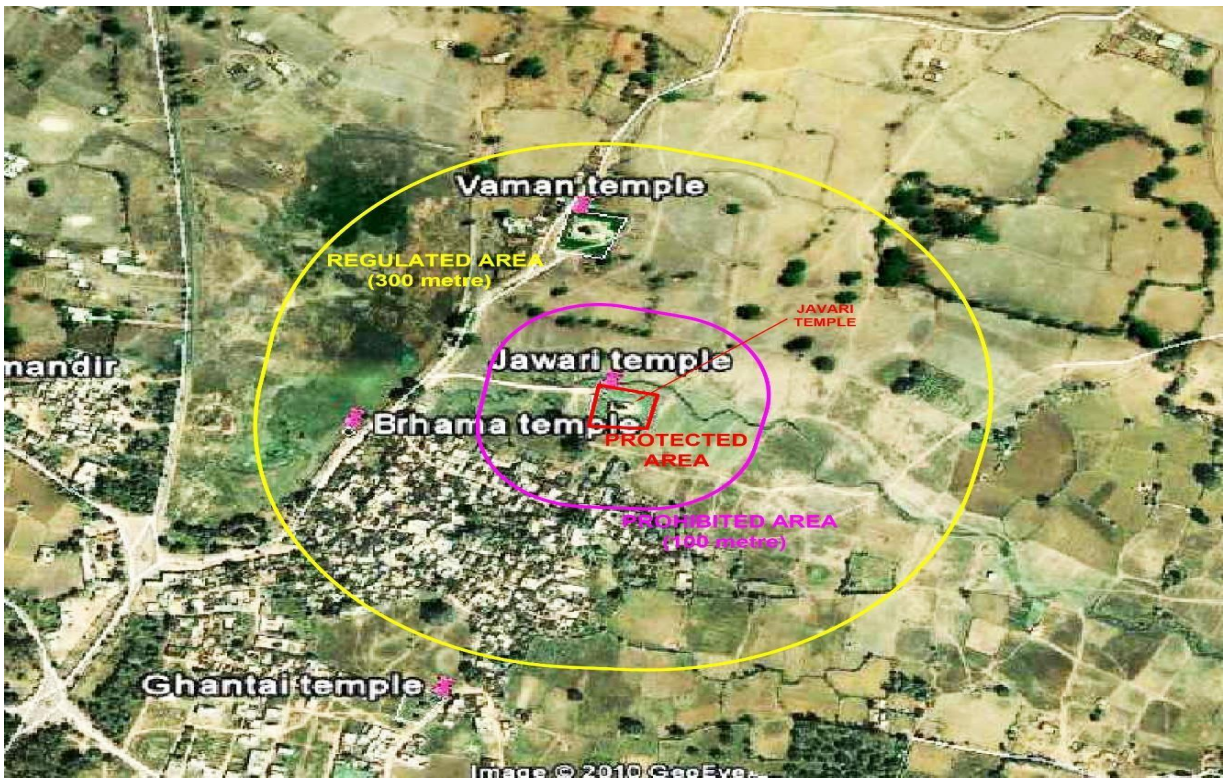

चित्र 1- केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक- जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की अवस्थिति को दर्शाता गूगल मानचित्र

- स्मारक के निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो रेलवे स्टेशन है जो शहर में 9.2 किलोमीटर (बमीठा रोड, एयरपोर्ट रोड और स्टेशन रोड के माध्यम से) की दूरी पर स्थित है।

- स्मारक के निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो हवाई अड्डा है जो स्मारक से 5.9 किलोमीटर दूर स्थित है सड़क के माध्यम से (बमीठा रोड और हवाई अड्डा रोड के माध्यम से) स्मारक तक पहुँच सकता है।
- यह मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, खजुराहो के उत्तर-पूर्वी छोर के सन्निकट मैदान में स्थित है और वामन मंदिर के दक्षिण दिशा में लगभग 201.168 पर स्थित है और निनोरा ताल का के पूर्वी तट पर निर्मित ब्रहमा मंदिर के पूर्व दिशा में भी समान दूरी पर स्थित है।

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमा:

केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुबंध-I** में देखी जा सकती है।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुबंध-II** पर देखी जा सकती है।

3.2 स्मारक का इतिहास :

भगवान विष्णु को समर्पित, यह मंदिर लगभग 1075-1100 ईस्वी की अवधि का है। खजुराहो के अन्य ऐतिहासिक मंदिरों के साथ, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा यह दो महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषताओं को दिखाने में खजुराहो के मंदिरों में अद्वितीय है। इसके जंघा के शीर्ष सजावट की ढलाई में भरणी (स्तंभ-शीर्ष) एवं कपोतावली को एक प्रमुख कूटा-छड्या द्वारा दिखाया गया है जो गुजरात के मध्यकालीन मंदिरों की विशेषता है। दूसरे, जंघा की निचली पंक्ति पर देवताओं की प्रतिमाओं को गोलाकार भित्ति स्तंभ पर जिसमे एक हीरे का शीर्ष है । यह विशेषता गुजरात के मध्यकालीन मंदिरों में भी पाई जाती है, लेकिन निकटतम सादृश्य उदयपुर में उदयेश्वर मंदिर (सी.ई. 1059-1080) और ग्वालियर में विशाल सास-बहू मंदिर (1093 ईस्वी) द्वारा प्रदान की गई है। यह संभावना है कि इन विदेशी विशेषताओं को पश्चिम भारतीय शैली के प्रभाव में मध्य भारत में पेश किया गया था जो ऊपर वर्णित मंदिरों पर स्पष्ट है।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि)

यह एक छोटा अच्छी तरह से अनुपातित पूर्वमुखी *निरंधारा प्रासाद* है और इसमें *गर्भगृह,* अगोचर *अंतराल, मंडप और अर्धमंडप* शामिल हैं। मंदिर वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है और अपने अलंकृत *मकर-तोरण* के लिए उतना ही उल्लेखनीय है जितना कि इसके *शिखर* के सुगठित और उर्द्धवगामी रूपरेखा के लिए है।

इसका गर्भगृह वास्तव में *पंचरथ* है, लेकिन रेखाचित्र के साथ-साथ ऊँचाई में भी *सप्तरथ* जैसा प्रतीत होता है। *अंतराल* संकरा है। इसमें सामान्य प्रकार का छोटा *मंडप* और अर्धमंडप है, जो छोटे स्तंभों पर टिका हुआ है। अपने सामान्य रेखाचित्र और रचना में, यह मंदिर चतुर्भुज मंदिर से मिलता-जुलता है, जो कि संकरा *अंतराल* वाला एक *निरंधारा प्रासाद* है।

यह मंदिर 3.34 मीटर ऊँचे एक उन्नत *जगती* (पीठिका) पर स्थित है, जिसके लगभग मध्य में एक भूस्तारिका (ऑफसेट) दिखाई देता है। *जगती* के फलक पूरी तरह से नवीकृत किए गए हैं। इस मंदिर में दो श्रृंखलाओं का एक साधारण *अधिष्ठान* है।

जंघा अधिष्ठान पर टिकी हुई है और दीवार को तीन मूर्तिकला पंक्तियों में विभाजित करते हुए दो बंधन सजावटी पट्टी (मोल्डिंग) को दर्शाती है। दो निचली पंक्तियों में समान आकार की मूर्तियां हैं जिन पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। पहली पंक्ति के आगे उभरे हुए भाग पर *दिक्पाल* और *अप्सराएँ* तथा पिछले भाग पर *व्याल* तथा मध्य पंक्ति के पिछले भाग पर प्रेमप्रवण जोड़ा है। शीर्ष पंक्ति में छोटी मूर्तियां हैं, जिनमें ऊभरे हुए भागों पर उड़ते हुए *विद्याधरों* का ओजपूर्ण समूह तथा पिछले भाग पर *विद्याधर जोड़े* दर्शाए गए हैं। *विद्याधरों* को खेलकूद करते हुए तथा माला या अस्त्र ले जाते हुए दर्शाया गया है।

इसका *शिखर पंचरथ* शैली का है किंतु *सप्तरथ* जैसा दिखाई देता है। हालांकि पूरी तरह नवीकृत है, यह स्पष्ट है कि *शिखर* पर सात *भूमियां* थीं जिन्हें *कपोता* द्वारा आवृत्त वृत्ताकार खंड की छह *भूमि-अमालकों* द्वारा चिह्नित किया गया था। विद्यमान भाग से यह स्पष्ट है कि *शिखर* को पूर्ण रूप से *चैत्य-गवाक्षों* से आवृत्त किया गया था।

शिखर के प्रत्येक कोने में केवल एक *ऊरूश्रृंग* और केवल एक *कर्णश्रृंग* है। किन्तु *ऊरूश्रृंग* के आधार के प्रत्येक फलक पर एक लघु *श्रृंग* स्थित है।

केंद्रीय रथों की तरह, कोने वाले रथ भी स्कंध के मार्ग से आगे निकलते हैं और निचले आमलक को लगभग स्पर्श करते हैं।

निचले अमलक के ऊपर शिखर के शीर्ष तत्वों में तीन आरोपित चंद्रिकाएं, ऊपरी आमलक, चंद्रिका, दो किनारों (रिम्स) के साथ कलश और एक बिंदु तक बीजपूरक शामिल हैं।

छत का उभार तीन स्तरों तक हैं। निचले स्तर में एक आला शामिल है जिसके ऊपर एक लघु पिरामिडनुमा *शिखर* से सटी एक त्रिकोणिका *(उद्गम)* जड़ी हुई है। मध्य स्तरों में ताखों की दो पंक्तियां (ऊपरी पंक्ति केवल सामने या पूर्वी मुख की ओर से दिखाई देती है) हैं, जो *उद्गम* (त्रिकोणिकाओं) की एक श्रृंखला द्वारा सुसज्जित है। शीर्ष स्तर *शुकनासिका* की आकृति बनाने वाले शेर की मूर्ति द्वारा जड़ी हुई साधारण त्रिकोणिका को दर्शाता है।

मंडप की छत एक लंबी पिरामिडनुमा इमारत है जिसमें एक केंद्रीय शिखर होता है, जिसके प्रत्येक पार्श्व की ओर (यानी, उत्तर और दक्षिण) दो छोटे अवरोही शिखर होते हैं, और पूर्व और पश्चिम में एक और भी छोटा अवरोही शिखर होता है। प्रत्येक शिखर समान रूप से एक धारीदार (रिब्ड चंद्रिका), आमलक, कलश और बीजपूरक से बना होता है।

अर्द्धमंडप की छत की रचना और रंगरूप भी *मंडप* की छत के समान ही है किंतु आकार में थोड़ा छोटा है। मध्य *शिखर* के चारों ओर एकल अवनत परत में चार छोटे *शिखर,* प्रत्येक बुनियाद बिंदु में एक-एक, स्थित हैं जिससे क्षितिज (स्काईलाइन), प्रत्येक पार्श्व, जिसके कोनों पर दो छोटे श्रृंग स्थित हैं, से एक मध्य श्रृंग दर्शाते हैं।

मंदिर में चार पाश (लूप) के एक *मकर-तोरण* के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। पाशों की संधि को अपूर्ण रूप से परिरक्षित शंकुधरों के साथ सजाया गया है, जबकि पाशों को कमल और नृत्य करते हुए, या संगीत वाद्ययंत्रों को बजाते हुए, या अस्त्र भांजते हुए *विद्याधरों या विद्याधर जोड़ों* की चित्रवल्लरी से अलंकृत किया गया है। पाशों की प्रत्येक संधि को *कीर्तिमुख* से सुसज्जित किया गया है, जिसमें से मध्य वाला *कीर्तिमुख* बड़ा है। ठीक दाईं ओर एक आले में लक्ष्मी-नारायण तथा बाह्य मुख पर *मकर* की बाईं ओर शिव-पार्वती आसीन हैं, जबकि अंतर्मुख पर दोनों ओर एक आले में शिव-पार्वती आसीन हैं।

3.4 वर्तमान स्थिति :

3.4.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति का मूल्यांकन

जवारी मंदिर के परिरक्षण (गर्भगृह *शिखर* और *अर्द्धमंडप* की छत, जिन्हें काफी हद तक पुनर्निर्मित किया गया है, को छोड़कर) की स्थिति बहुत अच्छी है और खजुराहो के छोटे मंदिरों में वास्तव में सबसे उत्तम है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वालों और कभी-कभी आने वालों की संख्या:

इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 100-150 आगंतुक आते हैं। इसके अलावा, अक्टूबर से मार्च तक के महीनों के दौरान, इनकी संख्या बढ़कर 450-500 आगंतुक प्रतिदिन हो जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण

विशेष रूप से, स्मारक के लिए, राज्य/स्थानीय सरकार के किन्हीं नियमों और निकाय योजना के तहत कोई क्षेत्रीकरण विद्यमान नहीं है।

इसके अलावा, "**मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या 23, वर्ष-1973)** के अधीन परिभाषित **"मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित, की उप-धारा 36"** के अनुसार, विभिन्न भूमि उपयोगों को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश :

इन्हें **अनुबंध-III** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड (अभिलेख) में निर्धारित सीमाओं के आधार परा प्रतिषिद्ध एवं विनयमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21 (1)/ टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना।

5.0 जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की रूपरेखा योजना

इसे **अनुबंध- IV** में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- संस्मारकों का कुल संरक्षित क्षेत्र 2704.60 वर्गमीटर है।
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 52297.23 वर्गमीटर है।
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र 293256.44 वर्गमीटर है।

प्रमुख विशेषताएं:

- स्मारक की अधिकांश दिशाओं में एक खुली बंजर भूमि है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के कुछ छोटे हिस्से पर ग्रामीण, उप-नगरीय और आधुनिक निर्माण मौजूद हैं।
- निर्मित क्षेत्र अधिकांशतः आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के अधीन है। इसके अलावा परिवेश में कुछ धार्मिक संरचनाएं और अन्य केंद्र संरक्षित स्मारक - "जवारी मंदिर और ब्रह्मा मंदिर", कृषि भूमि, कुएं और हैंड पंप भी विद्यमान हैं। स्मारक की पश्चिम दिशा में एक झील अवस्थित है जिसके पूर्व और पश्चिम दिशा में नाले के रूप में एक छोटी जलधारा भी स्थित है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में नाले के एक रूप में संकरी जलधारा के साथ खुली बंजर भूमि विद्यमान है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में आवास और झोपड़ियाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम दिशा में कुछ आवास और एक कुंआ भी स्थित हैं।
- **पूर्व:** इस दिशा में नाले के एक रूप में संकरी जलधारा के साथ खुली बंजर भूमि अवस्थित है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि से घिरे नाले के रूप में एक संकरी पानी की धारा के ऊपर पुलिया स्थित हैं। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिशा में एक नीची भूमि भी विद्यमान है जिसमें पानी भर जाता है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में आवास, झोपड़ियाँ, दुकानें, एक अन्य केंद्र संरक्षित स्मारक वामन मंदिर और एक कुआँ मौजूद है। जबकि, उत्तर-पूर्व दिशा में, कृषि उपयोग के तहत छोटे हिस्से के साथ खुली बंजर भूमि भी विद्यमान है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में आवास, झोपड़ियाँ, दुकानें, मंदिर और कुएँ विद्यमान हैं। इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम दिशा में, कुछ आवास, दुकानें, झोपड़ियाँ, हैंड पंप, कुएँ और एक चारदीवारी भी विद्यमान है।
- **पूर्व:** इस दिशा में कृषि उपयोग के तहत छोटे हिस्से के साथ एक बंजर भूमि के भीतर समावृत्त एक चारदीवारी और नाले के रूप में एक संकरी जलधारा मौजूदा है। इसके अलावा, दक्षिण-पूर्व दिशा में एक मंदिर, कुछ आवास, एक चहारदीवारी और कुएं विद्यमान हैं।
- **पश्चिम:** इस दिशा में एक मंदिर, एक और केंद्रीय संरक्षित स्मारक, ब्रह्मा मंदिर, नाले के रूप में एक संकरी जलधारा और एक झील विद्यमान हैं। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिशा में कुएँ, पुलिया के साथ-साथ एक ग्रामीण/उप-नगरीय बस्ती के रूप में कुछ आवास, झोपड़ियाँ और दुकानें भी विद्यमान हैं।

5.1.3. हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि विद्यमान है।
- **दक्षिण:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि विद्यमान है।
- **पूर्व:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि विद्यमान है।

- **पश्चिम:** इस दिशा में खुली बंजर भूमि विद्यमान है।

विनियमित क्षेत्र

- **उत्तर:** इस दिशा में स्थित बंजर भूमि वर्तमन उपनगरीय बस्ती को आवृत्त करती है। इसके अलावा, वामन मंदिर के परिसर के अंदर, बगीचे के रूप में खुली भूमि विद्यमान है।
- **दक्षिण:** निर्माणों के बीच छोटी असंरचित भूमि के रूप में खुला स्थान वद्यमान हैं। इसके अलावा दक्षिण-पूर्व दिशा में कृषि उपयोग के तहत खुली भूमि विद्यामन है।
- **पूर्व:** इस दिशा में कृषि उपयोग के तहत कुछ हिस्से के साथ खुली बंजर भूमि विद्यमान है।
- **पश्चिम:** इस दिशा में एक झील विद्यमान है।

5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र - सड़क, पैदलपथ आदि

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में अनेक छोटी स्थानीय सड़कें, पक्की और कच्ची, दोनों विद्यमान हैं। इन सड़कों के तहत लगभग 12912.69 वर्गमीटर भूमि शामिल है। स्मारक की संरक्षित सीमा के अंदर, लगभग 493.88 वर्गमीटर क्षेत्र परिचालन पथों द्वारा आवृत्त किया गया है।

5.1.5. भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

- **उत्तर:** अधिकतम ऊंचाई 7.0 मीटर है।
- **दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 9.0 मीटर है।
- **पूर्व:** कोई भवन विद्यमान नहीं है।
- **पश्चिम और उत्तर-पश्चिम:** अधिकतम ऊंचाई 7.0 मीटर है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य द्वारा संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन यदि विद्यमान हों:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य संरक्षित स्मारक या किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा संरक्षित स्मारक विद्यमान नहीं है।

5.1.7. सार्वजनिक सुविधाएं :

स्मारक में संरक्षण सूचना पटल, सांस्कृतिक सूचना पटल और कूड़ादान विद्यमान हैं। आगंतुकों के आने-जाने के लिए पत्थरों से निर्मित सीढ़ीयुक्त मार्ग विद्यमान है।

5.1.8. स्मारक तक पहुंच:

मंदिर की पश्चिम दिशा में स्थित एक संकरी सड़क के माध्यम से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा, यह सड़क दूसरे छोरों तक भी जाती है और 500 मीटर की दूर पर प्रमुख नगर चौक - बस्ती चौराहा पर जाकर मिलती है।

5.1.9. अवसंरचनात्मक सेवाएं {(जलापूर्ति, झंझाजल अपवाह तंत्र (स्टोर्म वाटर ड्रेनिज), जल-मल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)} :

स्मारक में कोई अवसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

5.1.10 प्रस्तावित क्षेत्रीकरण

खजुराहो विकास योजना - 2011 के अनुसार, जिस भूमि पर स्मारक स्थित है उसे **"मनोरंजन क्षेत्र"** के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा, उपरोक्त उल्लिखित खंडों को "खजुराहो विकास योजना - 2011" और "मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित, जिन्हें "मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973" (संख्या 23, वर्ष 1973) में परिभाषित किया गया है, से लिया गया है।

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0. वास्तुकलात्मक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व :

इस मंदिर का बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह शक्तिशाली और अत्यधिक पूजे जाने वाले हिंदू देवता - "भगवान विष्णु" से संबंधित है। यह बीते युग के संस्मरण के रूप में विद्यमान है और उस युग के मूर्तिकारों और शिल्पकारों की अद्भुत स्थापत्य प्रतिभा और जटिल हस्तकला का द्योतक है। इसके अलावा, विस्तृत प्रवेश द्वार, मूर्तियों के सुंदर समूह, उत्तम नक्काशी, आदि जो मंदिर के "*शिखर*" और अन्य आंतरिक और बाहरी भागों पर विद्यमान हैं, मंदिर की विशाल वास्तुकला और पुरातात्विक महत्व को बढ़ाते हैं।

6.1. स्मारक की संवेदनशीलता (उदाहरणार्थ : विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

स्मारक के चारों ओर, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं को छोड़कर, मुख्यतः खुली बंजर/कृषि भूमि विद्यमान है। उप-नगरीय और आधुनिक शैली के भवन विद्यमान हैं। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र के उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा में, वामन मंदिर के निकट, ग्रामीण और उप- नगरीय बस्ती विद्यमान है। इसके अलावा, जैसे-जैसे गाँव के क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है, स्मारक और संरक्षित क्षेत्र दोनों में निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से अतिक्रमण की संभावना बढ़ती जा रही है।

6.2. संरक्षित स्मारक/ क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता :

खुली बंजर भूमि, कृषि भूमि और झील की विद्यमानता के कारण स्मारक प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की अधिकांश दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विनियमित क्षेत्र की दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में, विद्यमान उप-नगरीय और आधुनिक भवनों के कारण दृश्यता लगभग समाप्त हो गई है। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र के उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा में, विद्यमान ग्रामीण और उप-नगरीय निर्माणों के कारण दृश्यता कुछ हद तक सीमित हो जाती है।

6.3. पहचान किये जाने वाले भू- प्रयोग :

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, भूमि के कुछ हिस्से, जिन पर निर्माण हुआ है, मुख्य रूप से आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के तहत आते हैं। स्मारक के आसपास कुछ धार्मिक संरचनाएँ भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित अन्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों - वामन मंदिर और ब्रह्मा मंदिर भी विद्यमान हैं। पश्चिम दिशा में एक झील विद्यमान है।

6.4. संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों, दोनों, में कोई भी पुरातात्विक धरोहर अवशेष और स्थल विद्यमान नहीं हैं।

6.5. सांस्कृतिक परिदृश्य:

स्मारक के प्रतिवेश में विद्यमान ब्रह्मा मंदिर और वामन मंदिर सांस्कृतिक परिदृश्य दर्शाते हैं।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और स्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षित करने में सहायक हैं:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में विद्यमान झील के साथ खुली बंजर और कृषि भूमि इसके प्राकृतिक परिदृश्य को दर्शाती है। विनियमित क्षेत्र के उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं और प्रतिषिद्ध क्षेत्र की दक्षिण दिशा में, स्थानीय बस्ती के कारण स्मारक का प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य लुप्त हो गया है। इसके अलावा, जैसे-जैसे स्मारक के आसपास के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, बढ़ते ग्रामीण, उप-नगरीय और आधुनिक आवासीय गतिविधियों के कारण स्मारक के प्राकृतिक परिदृश्य के अतिक्रमण की संभावना बढ़ गई है।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

विनियमित क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में, भूमि का उपयोग अधिकांशतः आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिम दिशा में ग्रामीण और उप-नगरीय निर्माण के अधिभोग वाली भूमि भी अधिकांशतः आवासीय उपयोग के तहत आती है।

इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र में कुछ धार्मिक संरचनाएं विद्यमान हैं। शेष भूमि झील का एक हिस्सा है या कृषि उपयोग के अंतर्गत आती है।

6.8 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां:

वर्तमान में कोई भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियां नहीं की जाती हैं।

6.9 स्मारक एवं विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज :

स्मारक का क्षितिज इसकी ऊभरी हुई संरचना के कारण अधिकांश दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आसपास के क्षेत्र की तुलना में क्षितिज पर वर्चस्व रखते हुए यह स्मारक अन्य स्मारकों के साथ स्थापित है। इसके अलावा, विनियमित क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशा में विद्यमान भवनों के कारण स्मारक का क्षितिज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है।

6.10 पारंपरिक वास्तुकला:

विनियमित क्षेत्र के उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा में छोटी झोपड़ियां विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र के दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में कुछ अस्थायी संरचनाएं भी विद्यमान हैं।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना :

इसे **अनुलग्नक**- V पर देखा जा सकता है।

6.12 भवन से संबंधित मापदंड:

(क) **स्थल पर निर्माण की ऊँचाई (खुली छत संरचना जैसे ममटी, पैरापेट, आदि सहित):** स्मारक के विनियमित क्षेत्र के सभी भवनों की ऊँचाई 7.10 मीटर (सभी के साथ) तक सीमित रहेगी।

(**ख) तल क्षेत्र:** तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार होगा।

(**ग) उपयोग: -** स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार भूमि-उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) **अग्रभाग की रचना: -**

अग्रभाग को स्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।

(ङ) **खुली छत की रचना: -**

भवनों की विद्यमान निर्माण शैली में मुख्य रूप से पैरापेट, पक्की छतें और ग्रामीण, उप-नगरीय और आधुनिक शैली की छज्जों के साथ समतल छतें शामिल हैं। इसी आकृति की अनुमति दी जा सकती है।

(च) भवन निर्माण सामग्री: -

पारम्परिक भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए।

(छ) रंग: - स्मारकों के साथ मिलते-जुलते हल्के रंग का उपयोग किया जाए।

6.13 आगंतुक हेतु सुख-सुविधाएं:

स्थल पर आगंतुकों हेतु सुख-सुविधाएं जैसे रोशनी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रदर्शन, शौचालय, व्याख्या केन्द्र, जलपान गृह, पेयजल, संस्मारिका दुकान, दृश्य- श्रव्य केंद्र, दिव्यांगजनों के लिए रैम्प, रैंप, वाई-फाई और ब्रेल सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक)

- सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए। इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चबूतरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (प्रोजेक्शंस)

- सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

- धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ (सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिह्नों अथवा किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक रासायनिक (सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों/मेलों आदि के लिए इन्हें तीन से अधिक दिन तक नहीं लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन (होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।
- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument "Javari Temple, Khajuraho, District- Chhatarpur, Madhya Pradesh", prepared by the Competent Authority, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl_section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument Javari Temple, Khajuraho, District- Chhatarpur, Madhya Pradesh.
(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.
(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;
FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and
(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act: -The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument - Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh.

3.0 Location and Setting of the Monument:

- The monument is located at GPS Coordinates: 24°50'57.92"N: 79°56'7.04"E.
- Javari Temple is a beautiful shrine located in the eastern direction of Khajuraho, District Chhatarpur, Madhya Pradesh. Present along with the other eastern group of monuments it is one of the prime tourist attractions of the city.
- The nearest Railway Station is the Khajuraho Railway Station situated in the city at a distance of 9.2kms (via Bamitha Road, Airport Road and Station Road).
- The nearest airport is Khajuraho Airport 5.9kms away (via Bamitha Road and Airport Road)
- This temple, dedicated to Vishnu, stands in the fields adjoining the north-east end of Khajuraho and is situated about a 201.168 m to the south of the Vamana Temple and the same distance to the east of the Brahma Temple, built on the eastern bank of the Ninora Tal.

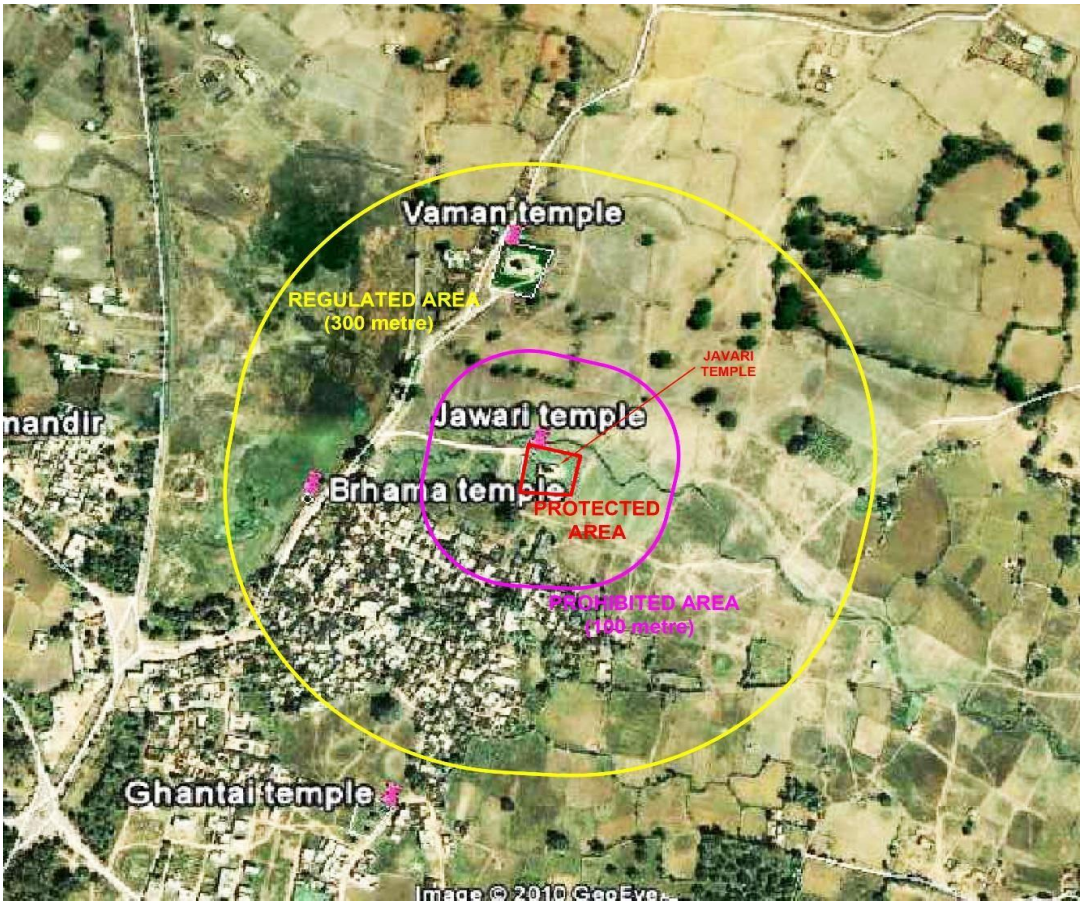

Figure 1, Google map showing location of Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh.

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument- Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh. may be seen at **Annexure-I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Notification of - Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure- II.**

3.2 History of the Monument:

Dedicated to the Lord Vishnu, this temple belongs to circa of 1075 – 1100 C.E. Along with other historical temples of the Khajuraho, it is a part of the UNESCO World Heritage Site.

This is unique among the Khajuraho temples in showing two significant architectural features. The crowning mouldings of its *jangha* show *bharani* (pillar-capital), and *kapota* surmounted by a prominent *kuta-chhadya* which is a characteristic of the mediaeval temples of Gujarat. Secondly, the images of deities on the lower row of the *jangha* are placed here in a niche framed by circular pilasters crowned by a diamond and canopied by a *torana* arch. This feature is also found on the medieval temples of Gujarat but the nearest analogy is provided by the Udayesvara Temple at Udaipur (C.E. 1059-1080), and the Large Sas-bahu Temple at Gwalior (C.E. 1093). It is likely that these exotic features were introduced in Central India under the influence of the West Indian style which is evident on the temples mentioned above.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

This is a small but well-proportioned *nirandhara prasada* facing east and consists of a *garbha-griha*, inconspicuous *antarala, mandapa and ardhamandapa*. The temple is a gem of architecture and is remarkable as much for its ornate *makara-torana* as for the slender and soaring outline of its *shikhara*.

Its sanctum is really *pancharatha* but looks like *saptaratha* in plan as well as elevation. The *antarala* is constricted. It has a small *mandapa* and *ardhamandapa* of the usual type, resting on dwarf pillars. In its general plan and design, this temple resembles the Chaturbhuja Temple which is also a *nirandhara Prasada* with constricted *antarala*.

This temple rests on a lofty *jagati* (platform), 3.34 m high, showing an offset almost in the middle. The faces of the *jagati* are completely restored. This temple has a simple *adhishthana* of two series.

The *jangha* rests over the *adhishthana* and shows two *bandhana* mouldings dividing the wall into three sculptural rows. The two lower rows contain sculptures of the same size representing gods and goddesses.

Dikpalas and *apsarases* on projections and *vyalas* in recesses of the first row and amorous couples in the recesses of the middle-row. The top row contains smaller sculptures representing a vigorous band of flying *vidyadharas* on projections and *vidyadhara* couples in recesses. The *vidyadharas* are represented as sporting and carrying garlands or weapons

The *shikhara* is of the *pancharatha* variety but looks like *saptaratha*. Though heavily restored, it is clear that the *shikhara* had seven *bhumis* marked by six *bhumi-amalakas* of circular section capped by *kapota*. From the extant portion, it is clear that the *shikhara* was entirely covered with a mesh of *chaitya-gavakshas*.

The *shikhara* has only one *urahsringa* and only one *karnasringa* in each corner. But the *urahsringa* is flanked on each side of the base by a miniature *sringa*.

Like the central *rathas*, the corner *rathas* also project beyond the shoulder course and almost touch the lower *amalaka*.

The crowning elements of the *shikhara* above the lower *amalaka* consist of three superimposed *chandrikas*, upper *amalaka, chandrika*, *kalasa* with two rims and *bijapuraka* finished to a point.

The roof rises in three tiers. The lowest tier consists of a niche surmounted by a pediment (*udgama*), addorsed to a miniature pyramidal *shikhara*. The middle tier consists of two rows of niches (the upper row seen only in the front or east face), crowned by a series of *udgama* (pediments). The top tier shows the usual gable surmounted by a lion figure forming the *sukanasika*.

The *mandapa* roof is a tall pyramidal pile consisting of a central *shikhara* flanked by two smaller descending *shikharas* on each lateral side (i.e., north and south), and a still smaller descending *shikhara* on the east and west. Each *shikhara* is similarly constituted of a ribbed *chandrika*, *amalaka*, *kalasa*, and *bijapuraka*.

The roof of the *ardhamandapa* is similar in design and appearance to that of the *mandapa* but smaller in size. The central *shikhara* is here clustered around by a single diminishing tier of four smaller *shikharas*, one in each cardinal point so that the skyline shows a central peak from each side flanked by two smaller peaks.

The temple is entered through a *makara-torana* of four loops. The junctions of the loops are decorated with imperfectly preserved pinecones, while the loops themselves are embellished with lotus scrolls and a frieze of *vidyadharas* or *vidyadharas* couples, dancing, or carrying garlands, or playing on musical instruments, or brandishing weapons. Each junction of the loops is crowned by a *kirttimukha*, the central one being larger. Seated Lakshmi-Narayana is represented in a niche on the proper right and seated Siva-Parvati on the left of the *makaras* on the exterior face, while on the inner face is seen seated Siva-*Parvati* in a niche on both sides

3.4 Current Status

3.4.1 Condition of Monument- condition assessment:

The Javari Temple is in good state of preservation (except for the sanctum *shikhara* and *ardhamandapa* roof which are considerably restored), and is indeed the finest among the smaller Khajuraho temples.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Average foot fall is 100-150 visitors per day. Further, during the months of October till March the number increases up to 450-500 visitors per day.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing Zoning if any in the local area development plans:

Specifically, for the monument, there is no zoning made under any rules and development plan of the state/ local government.
Apart, according to the **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012, sub section 36"**, defined under the **"Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973),** the various land uses are broadly classified as:

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure-III.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh.

It may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monuments is 2704.60 sq.m
- Total Prohibited Area of the monuments is 52297.23 sq.m
- Total Regulated Area of the monuments is 293256.44 sq.m

Salient Features:

- The monument is surrounded by an open barren land in the major directions. Some small parts of the Prohibited and Regulated Area are also occupied by rural, sub-urban and modern constructions.
- The built up area is mostly under residential and commercial use. Further some religious structures and other Centrally Protected Monument- "Brahma Temple", agricultural land, wells and hand pumps are also present in the surroundings. A lake is present in the west direction of the monument with a small water stream in a form of Nallah present in the east and west direction.

5.1.2 Description of built up area:

Prohibited Area

- **North:** Open barren land with narrow water stream in a form of Nallah is present in this direction.
- **South:** Residences and huts present in this direction. Further, in the south-west direction some residences and a well are also present.
- **East:** Open barren land with narrow water stream in the form of Nallah is present in this direction.
- **West:** Culverts over a narrow water stream in a form of Nallah enclosed by open barren land is present in this direction. Further, in the north-west direction, a low land is also present which gets filled with water.

Regulated Area

- **North:** Residences, huts, shops, another Centrally Protected Monument Vamana Temple and a well is present in this direction. Whereas, in the north-east direction, open barren land with small parts of it under agricultural use is also present.
- **South:** Residences, huts, shops, temple and wells are present in this direction. Further, in the south-west direction, some residences, shops, huts, hand pumps, wells and a boundary wall is also present.
- **East:** A boundary wall and a narrow water stream in a form of Nallah is enclosed within a barren land with small parts of it under agricultural use, are present in this direction. Also, a temple, some residences, a boundary wall and wells are present in the south-east direction.
- **West:** A temple, another Centrally Protected Monument – Brahma Temple, a narrow water stream in a form of Nallah and a lake are present in this direction. Moreover, in the north-west direction some residences, huts and shops as a part rural/sub-urban settlement along with wells, culverts are also present.

5.1.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area

- **North:** Open barren land present in this direction.
- **South:** Open barren land present in this direction.
- **East:** Open barren land present in this direction.
- **West:** Open barren land present in this direction.

Regulated Area

- **North:** Open barren land present in this direction enveloping the existing suburban settlement. Also, inside the premises of Vamana Temple, open land is present in a form of garden.
- **South:** Open spaces are present in between of constructions in form of small unconstructed land. Also in the south-east direction open land is present under agricultural use.
- **East:** Open barren land with some parts under agricultural use is present in this direction.
- **West:** A lake is present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation –roads, footpaths etc.:

Many small local roads, both metalled and kutcha are present in the north, south and west directions of the Prohibited and Regulated Areas. Approx. 12912.69 sqm area of land is covered under these roads. Further inside the protected boundary of the monument, approx. 493.88 sqm of area is covered by the circulation pathways.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise):

- **North:** The maximum height is 7.0 m.
- **South & South-west:** The maximum height is 9.0 m.
- **East:** No building is present.
- **West & North-west:** The maximum height is 7.0 m.

5.1.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if available within Prohibited/Regulated:

There is no State Protected Monument or any other local body protected monument present in the Prohibited and Regulated Area of the monument.

5.1.7 Public amenities:

Protection notice board, Cultural Notice board and dustbins are present at the monument. Stone paved pathways with stairs are also present for visitor circulation.

5.1.8 Access to monument:

The temple is accessed by a narrow road present in the west direction of the temple. Moreover, the same road extends on the other end and gets connected to a major city square – Basti Chauraha at a distance of 500m.

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructure facilities are available at the monument.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

As per the Khajuraho Vikas Yojana – 2011, the land on which the monument is present is proposed as **Recreational Zone**.

Apart, the above mentioned clauses are taken from the Khajuraho Vikas Yojana – 2011, and Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012, both defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monuments.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

The temple holds an immense historical value as it is related to the powerful and highly worshipped Hindu deity – "Lord Vishnu". It stands as a reminiscent of the bygone era and boasts of marvelous architectural brilliance and intricate handiwork of the sculptors and artisans of that age. Also, the elaborated gateway, the beautiful bands of sculptures, the exquisite carvings, etc. which are present on the "*shikhara*" and other interior and outer parts of the temple add an immense architectural and archaeological value to the temple.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

The monument is mostly surrounded by open barren/agricultural land in major directions, except in the south and south-west directions of the Prohibited and Regulated Areas. Sub-urban and modern style buildings are present. Also, in the north and north-west direction of the Regulated Area, adjacent to the Vamana Temple, rural settlement is present. Moreover, as the village area is expanding, both the Prohibited and the Regulated Areas of the monument have become more sensitive towards encroachment by the way of construction and developmental activities.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

The monument is clearly visible from most of the directions of the Prohibited and Regulated Areas due to the presence of open barren land, agricultural land and lake. In the south and south-west direction of the Regulated Area, the visibility is almost lost due to the existing

sub-urban and modern buildings. Further, in the north and north-west direction of the Regulated Area, the visibility is partially disturbed due to the existing rural and sub-urban constructions.

6.3 Land use to be identified:

The parts of land in the Prohibited and the Regulated Areas which are occupied by construction are mainly under the residential and commercial use. Some religious structures are also present around the monument. Further, the land is occupied by other Centrally Protected Monuments – Vamana Temple and Brahma Temple present in the north and west directions of the Regulated Area. A lake is present in the west direction.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No archaeological heritage remains and sites are present in the both the Prohibited and the Regulated Areas.

6.5 Cultural landscapes:

The Brahma Temple and the Vamana Temple present in the surroundings of the monument form the Cultural Landscape.

6.6 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting monument from environmental pollution:

The open barren and agricultural land along with the lake present in the Prohibited and Regulated Area of the monument forms its natural landscape. In the north, north-west, south and south-west directions of the Regulated Area and in the south direction of the

Prohibited Area, the natural and cultural landscape of the monument is lost due to local settlement. Further, as the surrounding area of the monument is expanding, the natural landscape of the monument is becoming more sensitive towards encroachment due to the growing rural, sub-urban and modern settlement activities.

6.7 Usage of open space and constructions:

In the south and south-west direction of the Regulated Area, the land is mostly used for residential and commercial purposes. Moreover, in the north-west direction the land occupied by the rural and sub-urban construction is also mostly under residential use.
Further, some religious structures are present in the Regulated Area. The remaining land forms a part of lake or is under agricultural use.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

No cultural and historical activities are followed at present.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline of the monument is clearly visible from most of the directions due its raised structure. It stands along with other monuments, dominating the skyline in comparison with the surrounding area. Further, in the south and south-west direction of the Regulated Area the skyline of the monument is not visible clearly due to the existing buildings.

6.10 Traditional architecture:

Small huts are present in the north and north-west directions of the Regulated Area. Further, some temporary structures are also present in the south and south-west directions of the Regulated Area.

6.11 Development plan as available by the local authorities:

It may be seen at **Annexure V.**

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.0 m. (All inclusive).

(b) Floor area: FAR will be as per local bye-laws.

(c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.

(d) Façade design: The façade design should match the ambience of the monument.

(e) Roof design: The existing construction style of the buildings are mainly flat roofs with parapet, pitched roofs and chajjas of rural, sub-urban and modern style. The same pattern can be allowed.

(f) Building material: Traditional building material may be used.

(g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound shows, toilets, interpretation center, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual center, ramp for differently abled, Wi-Fi, and braille should be available at the site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations.

a) Setbacks

- The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections

- No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages

- LED or digital signs, plastic fibre glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुबंध
ANNEXURES

अनुबंध - I
ANNEXURE-I

जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित चारदीवारी

Protected boundary of Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh.

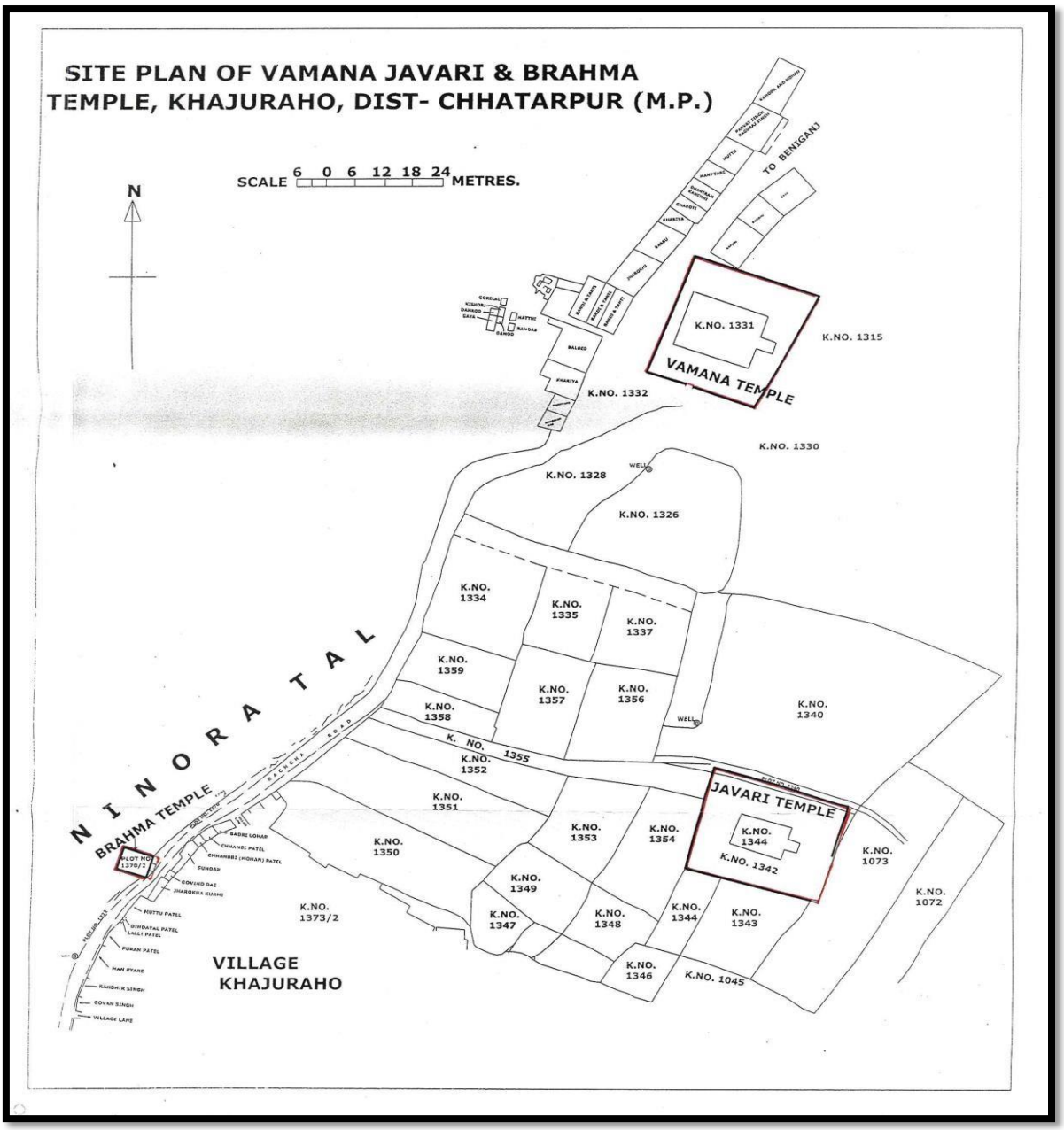

अनुबंध - II

ANNEXURE-II

जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला - छतरपुर, मध्य प्रदेश की अधिसूचना

Notification of Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh.

2

MINISTRY OF EDUCATION

(ARCHAEOLOGY)

New Delhi, the 4th November 1952

S.R.O. 1999.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to declare the ancient monuments described in the Annexed Schedule [illegible] Act.

SCHEDULE

Serial No.	District	Locality	Name of monuments	Survey Number	Extent	Ownership	Boundary North-South East-West	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chhatarpur	Khajuraho	Three groups of temples numbering 24 of the 10th century A. D.					
			1. *Western Group*					
			1. Chausath Jogini temple	478	0—58	Government	North Plot No. 479, South Plot No. 497, East Plot No. 497, West plot No. 477.	
			2. Lalguan Mahadeva	381	0—3	"		
			3. Kandariya Temple	516	0—56	"	Plot No. 494 on all four sides.	
			4. Mahadeva Temple	516	0—56	"	Do.	
			5. Devi Jagadambi Temple.	516	0—56	"	Do.	
			6. Chitragupta or Bharat-ji's Temple.	515	0—28	"	Plot No. 488 on all four sides.	
			7. Chopra or Square Tank.	518	0—11	"	Plot No. 159 on all four sides.	
			8. Visvanatha Temple	1777	0—43	"	North P. No. 29, South P. No. 1784/1. East P. No. 29, West P. No. 1784/2.	
			9. Nandi Temple .	1777	0—43	"	Do.	
			10. Parvati Temple	1779	0—14	"	North P. No. 1784/2, South P. No. 1784/1. East P. No. 1784/1, West P. No. 1784/2.	
			11. Lakshman Temple .	1781	0—54	"	Plot No. 1784/1 on all sides.	
			12. Matangesvara Temple	1781	0—34	"	North P. No. 1781, South P. No. 1785/1. East P. No. 1784/1, West P. No. 1784/1.	
			13. Varaha Temple	1783	0—2	"	North P. No. 1782, South P. No. 1784/1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			II. *Eastern Group*					
			1. Colossal statue of Shri Hanuman.	1733	0—9	Government	North P. No. 1731, South P. No. 1734. East P. No. 1732, West P. No. 1731.	
			2. Brahma Temple	1370	0—7	„	North P. No. 1370A, South P. No. 1372. East P. No. 1372, West P. No. 1670/11.	
			3. Vamana Temple	1331	0—31	„	Plot No. 1332 on all four sides.	
			4. Kakra Marh	505	0—39	„	North P. No. 507, South P. No. 500—504, East P. No. 504, West P. No. 499.	
			5. Javari Temple	1341	0—11	„	North P. No. 1342, South P. No. 1342, East P. No. 1342, West P. No. 1342.	
			6. Ghautai Temple	1381	0—29	„	North P. No. 1380, South P. No. 830, East P. No. 830, West P. No. 1382-1384.	
			7. Adinatha Temple 8. Parsvanatha Temple 9. Santinatha Temple	855	2—58	„	North P. Nos. 856 and 998, South P. No. 853, East P. No. 854, West P. No. 998/2067.	
			III. *Southern Group*					
			1. Duladeo Temple	1440	0—25	„	Plot No. 1441/2 on all sides, South River Khudar.	
			2. Jatakari or Chturbhuj Temple.	...	...	„	..	
2	Panna	Ajaigarh	Ajaigarh Fort and its remains.	...	...	„	..	
3	Panna	Ajaigarh	Two temples ascribed to Gupta Period.	...	...	„	..	
4	Panna	Nachna	Nachna Kuthara Parvati Temple.	96	0—4	„	..	
5	Satna	Bachhaun	Inscription in the fort of Bachhaun.	...	...	„	..	

Original Notification - II

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 30th April, 1953.

S.R.O. 865.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to confirm its notification No. F. 3-66/52-A.2., dated the 4th November, 1952, declaring the ancient monuments described in the schedule annexed thereto to be protected monuments within the meaning of the said Act.

[No. F. 3-66/52-A.2.]

T. S. KRISHNAMURTI, Asstt. Secy

Typed copy of Original Notification - I

MINISTRY OF EDUCATION

ARCHAEOLOGY

New Delhi, the 30th April, 1953.

S.R.O. 865 – In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Central Government is pleased to confirm its notification **No. F.3-66/52-A.2., dated the 4th November, 1952**, declaring the ancient monuments described in the schedule annexed thereto to be protected monuments within the meaning of the said Act.

[No. F.3-66/52-A.2.] T.S. KRISHNAMURTI, Asstt. Secy

अनुबंध - III

स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

इसके अतिरिक्त, निर्माण के लिए नियम और दिशानिर्देश "**खजुराहो विकास योजना - 2011**" और "**मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित**, जिन्हें **"मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973" (संख्या 23, वर्ष 1973)** में परिभाषित किया गया है, के अनुसार लागू होंगे।

1. नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैट बैक) दत्त भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.आर.ए.)/ तल स्थल निर्देशिका (एफ.एस.आई.) और ऊंचाई के लिए विनियमित क्षेत्र में अनुमति।

निर्माण के लिए नियम अंतर्निहित है जिनका उल्लेख निम्नलिखित में किया गया है - **"मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या 23, वर्ष 1973), धारा 13(1)** में परिभाषित नियम "**खजुराहो विकास योजना - 2011**"

क्रम सं.	भूमि उपयोग क्षेत्र	भूमि उपयोग उप-क्षेत्र	नामावली
1	आवासीय	आवासीय	आर1
		भूतल पर दुकानों की पंक्ति के साथ आवासीय	आर2
		मध्यम घनत्व	आर3
		न्यून घनत्व	आर4
2	व्यावसायिक	नगर केंद्र	सी1
		उप-नगरीय केंद्र	सी2
		सामुदायिक केंद्र	सी3
		स्थानीय खरीददारी केंद्र	सी4
		सामान्य पण्य वस्तु खरीददारी केंद्र	सी5
		मंडी	सी6
		वर्गीकृत बाजार	सी7
3	औद्योगिक क्षेत्र	सेवा उद्योग	आई1
		सामान्य उद्योग	आई2
		विशिष्ट उद्योग	आई3

क्रम सं.	भूमि उपयोग क्षेत्र	भूमि उपयोग उप-क्षेत्र	नामावली
4	मनोरंजन	पार्क	जी1
		हरित पट्टी या वानिकी क्षेत्र	जी2
		क्षेत्रीय पार्क (जूलोजिकल पार्क या बोटेनिकल पार्क)	जी3
		प्राकृतिक क्षेत्रों या भूदृश्य क्षेत्रों का परिरक्षण	जी4
		खेल के मैदान	जी5
		स्टेडियम	जी6
		झील अग्रभाग विकास	जी7
		प्रदर्शनियों के मैदान	जी8
5	सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र/शैक्षणिक और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थागत कार्यकलाप	पी
6	विशिष्ट प्रयोजन	पर्यटन संवर्धन क्षेत्र	एसपी1
		संरक्षण क्षेत्र	एसपी2
		शुष्क भाग या कंटेनर डिपो	एसपी3
		तेल डिपो या ज्वलनशील सामान डिपो	एसपी4
		भवन सामग्री यार्ड	एसपी5
		अधीन उद्योग	एसपी6
		विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.)	एसपी7
		खदान क्षेत्र	एसपी8
		आरक्षित वन या राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य	एसपी9
		अन्य	एसपी10
7	परिवहन	बस स्टैंड या टर्मिनस	टी1
		बस पिक-अप स्टेशन	टी2
		सड़क	टी3

क्रम सं.	भूमि उपयोग क्षेत्र	भूमि उपयोग उप-क्षेत्र	नामावली
		रेलवे स्टेशन	टी4
		रेलवे लाइन	टी5
		बस डिपो	टी6
		ट्रांसपोर्ट नगर	टी7
		हेलीपेड/एयरपोर्ट	टी8
		मैट्रो रेल स्टेशन	टी9
8	जन उपयोगिताएं और सुविधाएं	जल शोधन संयंत्र	पीयूएफ1
		सीवरेज उपचार संयंत्र/उपचयन कुंड	पीयूएफ2
		विद्युत उप केंद्र	पीयूएफ3
		खाई मैदान	पीयूएफ4
		ट्रंक लाइन कोरिडोर वाटर/सीवर एक्स्ट्रा वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइन/गैस या ऑयल पाइपलाइन और संबंधित संरचनाएं	पीयूएफ5
		रेडियो/टीवी स्टेशन	पीयूएफ6
		टेलीफोन एक्सचेंज	पीयूएफ7
		फायर कंट्रोल स्टेशन	पीयूएफ8
		ठोस अपशिष्ट निस्तारण/अपघटन संयंत्र	पीयूएफ9
9	जल निकाय	नदी	डब्ल्यू1
		झील/तालाब/जलाशय	डब्ल्यू2
		नाला/नहर	डब्ल्यू3
		बाढ़ प्रभावित क्षेत्र	डब्ल्यू4
10	कृषि	कृषि भूमि	ए1
		ग्राम आबादी विस्तार	ए2

(2).

- **भूखंड में बांटे गए आवासीय प्रयोजनों के लिए नियम (उप-धारा 4.4 (क)):**
  - भूखंड का न्यूनतम आकार 60 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
  - भूखंड का न्यूनतम आकार 800 वर्गमीटर (नए विकास) और 500 वर्गमीटर (निर्मित क्षेत्र) से कम नहीं होना चाहिए।

- प्रस्तावित भूमि का 10 प्रतिशत पार्कों, बाल क्रीड़ांगन (टोट-लोट) और खेलकूद क्षेत्र के रखा जाना चाहिए।

 आवासीय विकास के लिए नियम {(उप-धारा 4.4 (ख)}:

तालिका-2

क्रम सं.	**भूखंड का क्षेत्र, मीटर में**	**सतह का क्षेत्रफल, मीटर में**	**भूमि आवृत्त क्षेत्र, प्रतिशत में**	**सीमांत खुला स्थान, मीटर में**		
				अग्रभाग	**पिछला भाग**	**पक्ष 1/पक्ष 2**
क) नए विकास कार्य के लिए:						
1	6.0 x 15.0	90	60	3.0	-	1.5
2	8.0 x 15.0	120	50	3.0	2.0	2.0
3	8.0 x 15.0	120	60	3.0	-	2.0
4	9.0 x 15.0	135	50	3.0	-	2.0
5	9.0 x 15.0	135	50	3.5	2.0	2.0
6	12.0 x 18.0	216	50	3.5	3.0	2.0
7	12.0 x 18.0	216	42	3.5	3/2	2.0
				3.5	2.5/1.5	2.0
8	12.0 x 24.0	288	40	5.5	3/2	2.5
				5.5	2.5/1.5	2.5
9	15.0 x 24.0	360	40	5.5	3/2	2.5
10	15.0 x 27.0	405	40	6.0	3/3	2.5
11	18.0 x 30.0	540	40	9.0	3/3	2.5
12	21.0 x 30.0	630	40	9.0	3.5/3	2.5
13	24.0 x 30.0	720	35	9.0	3.5/3	2.5
14	24.0 x 37.00	888	35	10.5	3.5/3	2.5
ख) खजुराहो स्थान सेवाग्राम:						
15.	5 x 12	60	60	2.5	-	1.5
16.	6 x 12	72	60	2.5	-	1.5
17.	6 x 12	72	50	2.5	1.5	1.5

इसके अलावा, "**खजुराहो विकास योजना - 2011", उप-धारा 4.4** में यह उल्लिखित है कि अन्य नियम जो खजुराहो विकास योजना - 2011 में उल्लिखित नहीं हैं, "मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या- 23, वर्ष - 1973) के

अंतर्गत परिभाषित "**मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित,"** के अनुसार लागू होंगे।

इसलिए, "**मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित," के अनुसार** लागू नियम निम्नानुसार हैं:

- **ऐसे भूखंडों/भूमियों, जिन पर 12.5 मीटर से अधिक और 30 मीटर तक ऊंचाई के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है, के लिए विकास मानदंड (उप धारा 42) : तालिका 3**

क्रम सं.	सड़क की चौड़ाई, मीटर में	न्यूनतम भूखंड (क्षेत्रफल वर्गमीटर में)	अग्रभाग, मीटर में	तल क्षेत्र अनुपात	भूमि आवृत्त प्रतिशत	भवन की ऊंचाई, मीटर में	अग्रभाग सीमांत खुला स्थान (एम.ओ.एस.), मीटर में	एमओएस में पक्ष/ पिछला भाग, मीटर में
1.	12 मीटर और उससे अधिक	1000	18	1:1.50	30	18 मीटर तक	7.5	6.0
2.	18 मीटर और उससे अधिक	1500	21	1:1.75	30	24 मीटर तक	9.0	6.0
3.	24 मीटर और उससे अधिक	2000	30	1:2.0	30	30 मीटर तक	12.00	7.5

टिप्पणी: जहां उपयोग किया जाने वाला परिसर व्यावसायिक है, उपरोक्त कॉलम 6 में उल्लिखित तल आवृत्त को 40 पढ़ा जाएगा।

- **भूखंड का आकार और अन्य मानदंड (उप-धारा 53):**

(1) आवासीय: प्रत्येक भूखंड का विकास के प्रकार के अनुरूप निम्नानुसार एक न्यूनतम आकार और अग्रभाग होगा:

तालिका 4

प्रकार	भूखंड का आकार (वर्गमीटर)	अग्रभाग (मीटर)
विलगित भवन	225 से अधिक	12 से अधिक
अर्द्ध-विलगित भवन	125-225	8 से 12
पंक्तिबद्ध भवन	50-225	4.5 से 12

(2) औद्योगिक: भूखंड का आकार वही होगा जो स्थानीय विकास प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(3) **अन्य भूमि उपयोग:** व्यवसाय, शैक्षणिक, व्यापारिक, सभागार, सिनेमा/थियेटर, मंगल कार्यालय/बारात घर, पेट्रोल पंप आदि जैसे अन्य उपयोग के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार खंड **(I)** के अध्यधीन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथानिर्णीत होगा।

सभागार/थियेटर: स्थिर सीटों के साथ लोक मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभागार/थियेटरों के लिए भूखंड का न्यूनतम आकार प्रत्येक सीट के लिए 3 वर्गमीटर की दर पर बैठने (सिटिंग) क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

- **समूह आवास के लिए तल क्षेत्र अनुपात और आवृत्त (उप-धारा 60):**

तालिका 5

क्रम सं.	**सकल आवासीय घनत्व व्यक्ति/हेक्टेयर**	**अधिकतम आवृत्त, प्रतिशत में**	**तल क्षेत्र अनुपात**
1	125	25	0.75
2	252	30	1.25
3	425	33	1.50
4	500	35	1.75
5	625	35	2.00

नोट:

1) जब तक कि विकास योजना में उल्लेख न किया गया हो, विभिन्न घनत्वों के लिए आवृत्त और तल क्षेत्र अनुपात तालिका 7 में निर्दिष्टानुसार होगा।
2) आवृत्त की गणना निम्नलिखित की कटौती के बाद समूह आवास के लिए आरक्षित सम्पूर्ण क्षेत्र के आधार पर की जाएगी:
   - समूह आवास के क्षेत्र के अंतर्गत 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ाई का कोई भी राजमार्ग या सड़क
   - समूह आवास क्षेत्र के भीतर स्कूलों का क्षेत्र (नर्सरी स्कूलों के लिए स्थलों को छोड़कर) और अन्य सामुदायिक सुविधाएं
   - निर्धारित खुला स्थान (इन खुले स्थानों में खेल के मैदान और स्थानीय प्रकृति के बाल क्रीड़ांगन (टोट-लोट) की अनुमति दी जाएगी)।

- **विभिन्न उपयोग समूह के लिए तल क्षेत्र अनुपात (उप-धारा 61):**

तालिका 6

क्रम सं.	उपयोग समूह	तल क्षेत्र अनुपात	श्रेणी
1.	आवासीय	1.25	
2.	वाणिज्यिक	2.50	नगरीय केंद्र
		2.00	उप-नगरीय केंद्र
		1.75	सामुदायिक केंद्र
		1.50	स्थानीय खरीददारी केंद्र
		1.25	पण्य वस्तु खरीद केंद्र
3.	सार्वजनिक और अर्द्ध-सार्वजनिक	1.00	प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/सामाजिक/ सांस्कृतिक/संस्थागत

टिप्पणी: संबंधित कस्बों की विकास योजनाओं में यथा-उपलब्ध तल क्षेत्र अनुपात और घनत्व को अपनाया जाए।

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध धरोहर उप-विधि/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो।

खजुराहो विकास योजना - 2011, उप-धारा 3.3 में, इस स्मारक को नगर में स्थित राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों (दक्षिणी-पूर्वी समूह) की सूची के तहत वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, **उप-धारा 4.3** के अंतर्गत, स्मारक के चारों ओर 300 मीटर की भूमि को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। तथा इन क्षेत्रों में विकास के लिए लागू नियम और विनियम निम्नानुसार है:

- भवन की अधिकतम ऊंचाई 7 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- संवेदनशील क्षेत्रों में संकेत पट्टिकाएं (साइनेज)/ सूचना पट्ट (साइन बोर्डों) की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, **खजुराहो विकास योजना - 2011, उप-धारा 4.6** में यह उल्लेख किया गया है कि विकास को निम्नलिखित कारकों सहित पर्यावरणीय नियंत्रणों के संदर्भ में अभिशासित किया जाएगा:

- भवन के बाहरी भागों की संरचना
- भवनों के बाहरी भागों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री
- बाहरी दीवारों की रंग

- चारदीवारी की संरचना
- भवन के चारों ओर स्थित क्षेत्र का विकास
- विज्ञापन पटल/ फलक (पैनल) को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद स्वीकृत किया जाएगा
- संवेदनशील क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई और छंटाई पूर्णतः निषिद्ध है। इसके अलावा, अत्यधिक आवश्यकता के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

3. खुले स्थान

खजुराहो विकास योजना - 2011, उप धारा 3.5 (2) के अनुसार, भूदृश्य विकास के लिए कतिपय प्रस्ताव किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- नदी के किनारों और झीलों के अपवाह क्षेत्रों (कैचमेंट एरिया) में पुष्प-वृक्ष लगाए जाएं।
- संवेदनशील क्षेत्रों में विभिन्न रंगों वाले पुष्प-वृक्ष लगाना जो वर्षभर पनपते हैं।
- मंदिरों के सामने खड़ंजा और खुला स्थान (प्लाजा) का निर्माण।
- प्रांगण के भीतर समावृत अभिरूची के स्थान का भूदृश्य निर्माण।

इसके अलावा, "मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या- 23, वर्ष - 1973) के अंतर्गत परिभाषित "**मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 1984, वर्ष 2012 में संशोधित,"** में भी खुले स्थान के लिए कुछ नियम निर्दिष्ट किए गए हैं।

- **खुला स्थान, किसी भूखंड के भीतर (उप-धारा 55):**
  1) प्रकाश और संवातन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक भवन और खंडों के लिए पृथक या विशिष्ट खुला स्थान होगा।
  2) 7 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के बीच अलगाव 1.5 मीटर से कम नहीं होगा तथा 7 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए इस प्रकार के किसी अलगाव की आवश्यकता नहीं है।
- **आवासीय भवन - खुला स्थान (उप-धारा 56)**

  12.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों के लिए बाह्य खुला स्थान।

1) अग्रभाग में खुला स्थान

क) 12.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रत्येक आवासीय भवन के लिए, सड़क की ओर वाले भाग पर अग्रभाग में खुला स्थान निम्नानुसार होगा तथा इस प्रकार का खुला स्थान स्थल का आंतरिक भाग होगा:

तालिका 7

क्रम सं.	**सड़क की ओर वाले भाग पर भूखंड की चौड़ाई**	**अग्रभाग में खुला स्थान**
1.	9.0 मीटर तक	3.0 मीटर
2.	9.0 मीटर से अधिक और 12.0 मीटर तक	3.6 मीटर
3.	12.0 मीटर से अधिक और 18.0 मीटर तक	4.5 मीटर
4.	18.0 मीटर से अधिक	6.0 मीटर

ख) मौजूदा विकसित क्षेत्रों जिनमें सड़कों की चौड़ाई 6.0 मीटर से कम है, भवन की दूरी (भवन का छोर) सड़क की मध्य रेखा से 6.0 मीटर होगी।

2) पिछले भाग पर खुला स्थान

क) 12.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले प्रत्येक आवासीय भवन के लिए, पिछले भाग पर खुला स्थान निम्नानुसार होगा:

तालिका 8

क्रम सं.	**भूखंड का क्षेत्रफल, वर्गमीटर में**	**पिछले भाग में न्यूनतम खुला स्थान, मीटर में**
1	40.00 वर्गमीटर तक	शून्य
2	40.00 से अधिक और 150.00 तक	1.5
3	150.00 से अधिक और 225.00 तक	2.5
4	225.00 से अधिक	3

ख) पीछे की दीवारों के किनारे तक पीछे का खुला स्थान- पीछे खुला स्थान पीछे की समस्त दीवार के साथ-साथ विस्तृत होगा। समस्त भवन दो यो दो से अधिक सड़कों से लगा हुआ हो तो ऐसा पीछे का खुला स्थान के पीछे की, दीवार के किनारों तक रखा जाएगा। जब तक प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, ऐसी पीछे की दीवार भवन के मुख के विपरीत वाली दीवार होगी।

3 बगल का खुला स्थान:

प्रत्येक अर्द्ध संबद्ध और असंबद्ध भवन में स्थायी रूप से खुला स्थान रहेगा जो निम्नानुसार स्थल का अभिन्न भाग होगा:

क) असंबद्ध भवनों के लिए दोनों ओर कम से कम 3 मीटर खुला स्थान होगा, परन्तु 12 मीटर से कम अग्रभाग वाले भूखण्डों पर 7 मीटर तक की ऊँचाई के असंबद्ध आवासीय भवन के लिए, एक तरफ का खुला स्थान 1.5 मीटर तक रखा जा सकेगा।

ख) अर्ध संबद्ध भवनों के लिए एक ओर न्यूनतम 3.0 मीटर खुला स्थान होगा। 10 मीटर तक के अग्रभाग वाले भूखंडों पर निर्मित, 10 मीटर की ऊँचाई तक के अर्ध- संबद्ध भवनों के लिए खुला स्थान 2.5 मीटर तक नियत किया जा सकता है।

ग) पंक्तिबद्ध भवनों के लिए बगल का कोई भी खुला स्थान रखना आवश्यक नहीं होगा। उप-नियम (2) एवं (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, (गैराज) गाड़ी रखने के लिए पीछे की ओर का खुला स्थान अनुज्ञात किया जा सकेगा।

⇒ **अन्य व्यवसायिक भवनों के लिए खुला स्थान (उपधारा 57)**

(क) शैक्षिणिक भवन: शिशु मंदिर (नर्सरी) विद्यालय को छोड़कर, भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(ख) संस्थागत भवन: भवन के आसपास के खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(ग) सभा भवन: भवन के सामने का खुला स्थान 12 मीटर से कम नहीं होगा तथा आसपास के अन्य खुले स्थान 6 मीटर से कम नहीं होंगे।

(घ) व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा भण्डार भवन: भवनों के सामने का खुला स्थान 6 मीटर तथा तीनों तरफ 4.5 मीटर से कम नहीं होंगे। जहां यह पूर्णरूप से आवासीय क्षेत्र में स्थित हों या दुकान तथा आवासीय क्षेत्र में हो, वहां खुले स्थानों के संबंध में छूट दी जा सकेगी।

(ड.) औद्योगिक भवन: भवन के आसपास का खुला स्थान 16 मीटर तक की ऊँचाई के लिए 4.5 मीटर से कम नहीं होगा तथा 16 मीटर से अधिक की ऊँचाई में प्रत्येक एक मीटर या उसके भाग की वृद्धि के लिए खुले स्थान में 0.25 मीटर की वृद्धि की जाएगी

(च) खतरनाक अधिभोग: भवन के आसपास के खुले स्थान उपरोक्त खंड (ड.) में उल्लिखित औद्योगिक भवनों के लिए यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

- **खुले स्थान की परिसीमाएं (उप-धारा 59).**

  1) खुले स्थान में कटौती करने के विरूद्ध सुरक्षोपाय। किसी भवन पर किसी भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह कार्य उसी स्वामी के अधीन किसी अन्य सटे हुए भवन के खुले स्थान को प्रस्तावित कार्य के समय निर्धारित की गई सीमा से कम करने के लिए या यदि ऐसे खुले स्थान जो यह पहले से ही निर्धारित सीमा से कम हो को और कम करने के लिए संचालित किया जाता है।

  2) किसी भवन का परिवर्धन या विस्तार: भवन के परिवर्धन या विस्तार की अनुमति दी जाएगी, परंतु कि ऐसे परिवर्धन या विस्तार के लिए खुली जगह इस तरह के परिवर्धन या विस्तार किए जाने के बाद इन नियमों के अनुरूप होगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर आवाजाही (मोबिलिटी) - सड़क तल निर्धारण, पैदल पथ, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि

आम तौर पर नगर और उप-नगरीय क्षेत्रों में, परिवहन की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से वैयक्तिकृत माध्यम- दो पहिया वाहन, साइकिल, टेम्पो, कार, जीप, टैक्सी, वैन, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर और ट्रॉली, तांगा, ठेला इत्यादि द्वारा पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्मारक से 1.8 किमी की दूरी पर "राजनगर - बमीठा" सड़क से सीधा संपर्क है। और, स्मारक क्षेत्र में, यातायात की आवश्यकताओं को अधिकांशतः धीमी गति से चलने वाले मोटर चालित और गैर-मोटर चालित वाहनों के जरिए पूरा किया जाता है।

खजुराहो विकास योजना - 2011, उप-धारा 4.3 के अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रों के लिए लागू नियमों और विनियमों के तहत, यह उल्लेख किया गया है कि पैदल यातायात को वरीयता दी जाए, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में भारी वाहन यातायात प्रतिबंधित है। इसके अलावा, **उप धारा 3.5.5** के तहत, 18 मीटर की चौड़ाई के साथ “जवारी और वामन मंदिर मार्ग” का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, **खजुराहो विकास योजना - 2011, उप धारा 4.4** में विभिन्न प्रकार की शहरी सड़कों के लिए निम्नलिखित चौड़ाई प्रस्तावित की गई है:

तालिका 9

सड़क का प्रकार	**प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)**
उप-खंडीय रोड	24
पथ	18
स्थानीय रूट	9-12
सड़क शाखा (लूप रोड)	9
बंद रास्ता	7-8

टिप्पणी:

- सड़क शाखा (लूप रोड) की लम्बाई 500 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
- बंद रास्ते की लम्बाई 170 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. शहरी सड़क रचना (स्ट्रीटस्केप्स), अग्रभाग (फसाड) और नए निर्माण

उपर्युक्त अधिनियम और विनियम में अग्रभागों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

नए निर्माण:

खजुराहो विकास योजना - 2011, उप धारा 4.3 में, स्मारक के चारों ओर 300 मीटर तक की भूमि को संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है तथा इस संवेदनशील क्षेत्र में भवनों की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई 7 मीटर है।

इसके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विशिष्ट रूप से शहरी और ग्रामीण विकास के लिए आवासीय नीति भी तैयार की है जिसमें ग्रामीण समुदाय के लिए इंदिरा आवास योजना गृह आवास स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना तैयार की गई है। अब इसके लिए मुख्य योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाना है। पंच परमेश्वर योजना के तहत नालियों और सेवा नलिका (सर्विस डक्ट) के साथ सीमेंट कंक्रीट की आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पंचायत अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों में, ग्राम पंचायतों द्वारा नगरपालिका प्रकार्यों को अनिवार्य किया गया है।

ANNEXURE-III

LOCAL BODIES GUIDELINES

Further, rules and guidelines for construction will be applicable according to the - **"Khajuraho Vikas Yojana – 2011",** and **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** both defined under the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).**

1. **Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the regulated area for new construction, Set Backs.**

Rules are implied for construction which are mentioned in the - **"Khajuraho Development Plan – 2011",** the act defined under the **Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973), section 13(1) and**

Sr. No.	Land Use Zone	Land Use Sub-Zones	Nomenclature
1	Residential	Residential	R1
		Residential with shop lines at Ground Floor	R2
		Medium Density	R3
		Low Density	R4
2	Commercial	City center	C1
		Sub city center	C2
		Community Centre	C3
		Local Shopping Centre	C4
		Convenience Shopping Centre	C5
		Mandi	C6
		Categorized Markets	C7
3	Industrial Zone	Service Industries	I1
		General Industries	I2
		Special Industries	I3
4	Recreational	Parks	G1
		Green belts or forest afforested area	G2
		Regional Parks (Zoological or Botanical Parks)	G3
		Preservation of Natural Areas or Landscape areas	G4
		Play Grounds	G5
		Stadiums	G6
		Lake Front Development	G7

		Exhibition Grounds	G8
5	Public & Semi Public	Public Institutions and administrative Areas/ Education and Research / Health / Social / Cultural Institutional activities	P
6	Special Purpose	Tourism Promotion Zone	SP1
		Conservation Zone	SP2
		Dry Part or Container Depots	SP3
		Oil Depots or inflammable goods	SP4
		Depots	
		Building Material Yards	SP5
		Obnoxious Industries	SP6
		SEZ	SP7
		Mining Areas	SP8
		Reserved Forest or National parks or wildlife sanctuaries	SP9
		Others	SP10
7	Transportation	Bus-Stands or Terminus	T1
		Bus pick up stations	T2
		Roads	T3
		Railway Stations	T4
		Railway Lines	T5
		Bus Depot	T6
		Transport Nagar	T7
		Helipads/Airport	T8
		Metro Rail Stations	T9
8	Public Utilities and facilities	Water Treatment Plants	PUF1
		Sewerage treatment Plant/Oxidation Ponds	PUF2
		Electric Sub stations	PUF3
		Trenching Grounds	PUF4
		Trunk line corridors Water/Sewer Extra voltage Electric Lines/ Gas or oil pipe lines and related structures	PUF5
		Radio / T.V. Stations	PUF6
		Telephone Exchange	PUF7
		Fire Control Stations	PUF8
		Solid waste Disposal / Decomposition Plants	PUF9
9	Water Bodies	River	W1
		Lakes/ Ponds/ Reservoir	W2
		Nallah/ Canal	W3
		Flood affected areas	W4
10	Agriculture	Agricultural Lands	A1
		Village Abaadi Extensions	A2

- **Rules for the Plotted Residential (sub section 4.4 (a)):**
  - Minimum size of plot should not be less than 60 sqm.
  - Size of the plot should not be more than 800 sqm (new developed) and 500 sqm (constructed area).
  - 10 percent of the proposed land should be kept for parks, tot-lot, and play area.

- **Rules for Residential Development (sub section 4.4 (b)):**

Table 2

Sr. No.	Plot area in meter	Surface Area in Meter	Ground Coverage area in Percentage	Marginal Open Space in Meter		
				Front	Side 1/ Rear Side 2	
A) For New Development:						
1	6.0 x 15.0	90	60	3.0	-	1.5
2	8.0 x 15.0	120	50	3.0	2.0	2.0
3	8.0 x 15.0	120	60	3.0	-	2.0
4	9.0 x 15.0	135	50	3.0	-	2.0
5	9.0 x 15.0	135	50	3.5	2.0	2.0
6	12.0 x 18.0	216	50	3.5	3.0	2.0
7	12.0 x 18.0	216	42	3.5	3/2	2.0
				3.5	2.5/1.5	2.0
8	12.0 x 24.0	288	40	5.5	3/2	2.5
				5.5	2.5/1.5	2.5
9	15.0 x 24.0	360	40	5.5	3/2	2.5
10	15.0 x 27.0	405	40	6.0	3/3	2.5
11	18.0 x 30.0	540	40	9.0	3/3	2.5
12	21.0 x 30.0	630	40	9.0	3.5/3	2.5
13	24.0 x 30.0	720	35	9.0	3.5/3	2.5
14	24.0 x 37.00	888	35	10.5	3.5/3	2.5
B) Khajuraho Place Sevagram:						
15.	5 x 12	60	60	2.5	-	1.5
16.	6 x 12	72	60	2.5	-	1.5
17.	6 x 12	72	50	2.5	1.5	1.5

Further, it is mentioned in the **"Khajuraho Vikas Yojana – 2011", sub-section 4.4,** that the other rules which are not mentioned in the Khajuraho Vikas Yojana –

2011, will be applicable according to the **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** the act defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973). Therefore, rules applicable as per the **Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012** are as follows:

 Development norms for plots / lands on which building(s) with height above 12.5 m and up to 30 m is proposed (Sub section 42): Table 3

Sr. No.	Road Width in meters	Minimum plot land (area in sqm)	Frontage in meters	FAR	Ground Coverage percentage	Building Height in meters	Front M.O.S in meters	Sides / rec in MOS in meter
1.	12m & above	1000 sqm	18 m	1:1.50	30	Upto 18 m	7.5	6.0
2.	18m & above	1500 Sqm	21 m	1:1.75	30	Upto 24 m	9.0	6.0
3.	24m & above	2000	30m	1:2.0	30	Upto 30 m	12.00 m	7.5m

Note:

Where the use premises is commercial, the ground coverage mentioned in Column 6 above shall be read as 40.

 Size of plots and other norms (sub section 53):

(4) Residential: Each plot shall have a minimum size and frontage corresponding to the type of development as given below: **Table 4**

Type of	Plot size (Sq.	Frontage (meters)
Detached building	Above 225	Above 12
Semi-detached building	125-225	8 to 12
Row type building	50-225	4.5 to 12

(5) Industrial: The size of plot shall be such as approved by the local development Authority.

(6) Other land uses: The minimum size of plots for buildings for other uses like business,educational, mercantile, assembly, cinema/ theatre, mangal karyalaya/ marriage garden, fuel filling stations etc., shall be as decided by the local Authority subject to the clause (I).

Assembly Halls /Theatres; The Minimum size of plot for assembly building/theatres used for public entertainment with fixed seats shall be on the basis of seating capacity of the building at the rate of 3 Square meters per Seat. **Floor Area Ratio and Coverage for group housing (Sub section 60):**

Table 5

Sr. No.	Gross residential density Persons/Hectare	Maximum coverage in percentage	Floor area Ratio
1	125	25	0.75
2	252	30	1.25
3	425	33	1.50
4	500	35	1.75
5	625	35	2.00

Note:

3) The coverage and floor area ration for various densities may be as provided in Table 7 unless provided in the development plan.

4) The coverage shall be calculated on the basis of the whole area reserved for group housing after deducting:

- the area of any highway or any road of width 18mtrs. or more which falls within the area of Group Housing
- the area of schools (excluding sites for Nursery Schools) and other community facilities within the Group Housing Area
- the prescribed open space (playgrounds and tot lots of local nature shall be permitted in these open spaces).

 Floor Area Ratio for different use group (Sub section 61):

Table 6

Sr. No.	Use Group	FAR	Category
1.	Residential	1.25	
2.	Commercial	2.50	City Centre
		2.00	Sub-city centre
		1.75	Community centre
		1.50	Local Shopping Centre
		1.25	Convenience Shopping Centre
3.	Public and Semi Public	1.00	Administrative Areas / Education and Research/ Health / Social/ Cultural/ Institutional

Note:

F.A.R. and Density may be adopted as provided in the Development Plans of respective towns.

2. **Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local Bodies.**

In the **Khajuraho Vikas Yojana – 2011, sub-section 3.3,** the monument is categorized under the list of state protected monuments (Southern-Eastern group) present in the city.
Also, under the **sub section 4.3,** the surrounding land upto 300m from the monument is marked as sensitive area. And the rules and regulation applicable for development in these areas are mentioned as follows:

- The maximum height of the building should not exceed 7m. Signages/ sign boards are not allowed in sensitive areas.

Further, in the **Khajuraho Vikas Yojana – 2011, sub-section 4.6**, it is mentioned that, the development will also be governed in terms of environment control including the following factors:

- Composition of outer faces of the building.
- Material used on the exterior of the building.
- The colour shades of the exterior walls.
- The composition of the boundary walls.
- Development of the area surrounding the building.
- The advertisement boards/ panels will be accepted after the approval of the competent authority.
- Cutting and pruning of trees is strictly prohibited in sensitive areas. Further, in case of severe necessity, approval from the competent authority is required.

3. **Open spaces.**

According **Kahjuraho Vikas Yojana – 2011, sub section 3.5 (2),** certain proposal is made for the landscape development, which are as follows:

- Flowering trees to be panted on the bank of rivers and catchment areas of lakes.
- Planting of flowering trees in the sensitive areas of various colors that thrive throughout the year.
- Pavement and construction of plaza in front of the temples.
- Landscaping at the place of interest present enclosed inside the compound.

Further, some rules for regarding open spaces are also specified in the **"Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, revised 2012",** the act defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23, Year - 1973).

 Open Spaces, within a Plot (sub-section 55):

3) The open spaces shall be separate or distinct for each building and wings, for the purposes of light and ventilation.
4) Separation between buildings of more than 7 meters in height, shall not be less than 1.5 meters and for buildings up to 7 meters in height no such separation is required.

 Residential Buildings. - Open Spaces (sub-section 56).

Exterior open spaces for buildings having height up to 12.5 meters.

1) Front open spaces.

a) Every Residential Building having height up to 12.5 meters, facing street shall have a front open space mentioned below and such open space shall form an integral part of the site:

Table 7

S. No.	Width of street facing the plot	Front open space
1.	Up to 9.0 meters	3.0 meters
2.	More than 9.0 meters and up to 12 meters	3.6 meters
3.	More than 12.0 meters and up to 18 meters	4.5 meters
4.	Above 18 meters.	6.0 meters

b) In existing developed areas with streets less than 6.0 meters in width, the distances of the building (building line) shall be at 6.0 meters from the centre line of the street.

2) Rear open spaces.

a) Every Residential Building, having height up to 12.5 meters, shall have a Rear Open Space, as below:

Table 8

S. No.	Plot area in Square meters	Minimum Rear Open space in meters
1	Up to 40.00	Nil
2	Above 40.00 and Up to 150.00	1.5
3	Above 150 and up to 225.00	2.5
4	Above 225.00	3

b) Rear open space to extend up to the rear wall. The rear open space shall be \ Co-extensive with the entire face of the rear wall. If a building abuts on two or more streets, such rear open space shall be provided through-out the entire face of the rear wall. Such rear wall shall be the wall on the opposite side of the face of the building unless the Authority otherwise directs.

3) Side open space.

Every semi-detached and detached building shall have a permanently open airspace on sides, forming integral part of the site as below:

क) For detached buildings there shall be minimum side open spaces of 3 meters on both the sides provided that for detached residential building up to 7 meters in height on plots with a frontage less than 12 meters, one of the sides open space may be reduced to 1.5 meters.

ख) For semi- detached building there shall be a minimum side open space of 3.0 meters on one side. For Semi-detached building up to 10 meters in height on plots with a frontage up to 10 meters, the side open space may be reduced to 2.5 meters.

ग) For row-type buildings, no side open space is required.

4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) and (3) garage may be permitted atrear end of the side open space.

 Open spaces for other occupancies (sub-section 57).

a Educational Buildings. Except for nursery school, the open spaces around the building shall be not less than 6 meters.

b Institutional Building. The open spaces around the building shall not be less than 6 meters.

c Assembly Building. The open space at front shall not be less than 12 meters and other spaces around the building shall not be less than 6 meters.

d Business, Mercantile and Storage Buildings. The open spaces shall not be less than 6 meters in the front and 4.5 meters on other three sides. Where these are situated in purely residential zone or residential with shops line zone, the open spaces may be relaxed.

e Industrial Buildings. The open spaces around the building shall not be less than 4 5 meters for heights up to 16 meters with an increase of the open spaces of 0.25 meters for every increase of 1 meter or fraction thereof in height above 16 meters.

f Hazardous occupancies. - The open space around the building shall be as specified for industrial buildings mentioned in clause (e) above.

 Limitation to open spaces (sub-section 59).

a Safeguard against reduction of open spaces. No construction work on a building shall be allowed if such work operates to reduce an open space of any other adjoining building belonging to the same owner to an extent less than what is prescribed at the time of the proposed work or to reduce further such open space if it is already less than that prescribed.

b Additions or Extensions to a building. Additions or extensions of building shall be allowed provided that the open spaces for the additions or extensions would satisfy these rules after such additions or extensions are made.

4. **Mobility with the Prohibited and Regulated area – Road Surfacing PedestrianWays, non –motorized Transport etc.**

Normally in the city and the sub-urban areas, the transportation is primarily catered by personalized modes: - Two wheelers, Bicycles, Tempos, Car, Jeeps, Taxi, Vans, Auto Rickshaws, Mini Bus, Truck, Meta door, Tractor and Trolley, Tongas, Thelas etc. Further, the monument has direct connectivity with the "Rajnagar – Bamitha" road at a distance of

1.8kms. And, in the monumental area, the traffic is mostly catered with slow moving motorized and non - motorized vehicles.
According **Kahjuraho Vikas Yojana – 2011, sub section 4.3,** under the rules and regulation applicable for sensitive areas, it is mentioned that foot/pedestrian traffic is preferred, while the heavy vehicles traffic is prohibited in the sensitive areas. Moreover, under **sub section 3.5.5**, the "Javari and Vaman Mandir Marg" is proposed with a width of 18m.

Further, in **Kahjuraho Vikas Yojana – 2011, sub section 4.4**, the following width are proposed for various types of city roads:
Table 9

Types of Roads	**Proposed Width (In. Meters)**
Sub-Sectional Routes	24
Path	18
Local Routes	9-12
Loop Roads	9
Dead end Roads	7-8

Note:

- The length of loop rods must be more than 500m.
- The maximum length of dead end roads must not exceed 170m.

5. **Streetscapes, Facades and New Construction.**

Streetscapes and facades:
There are no specific Bye-Laws and Guidelines available for the Streetscapes and Facades within the Prohibited and Regulated area.

New Construction:
In the **Khajuraho Vikas Yojana – 2011, sub section 4.3,** the surrounding land upto 300m from the monument is marked as sensitive area and the maximum height allowed for the buildings in this sensitive area is 7m.

Further, the Madhya Pradesh State Government has also individually made the housing policy for urban and rural development therein; the rural area development plan has been prepared under Indira Awas Yojana housing scheme program for rural community. Now the master plan has to be prepared for it. Internal cement concrete roads with drains and service ducts will be constructed under the Panch Parmeshwar Yojana. The provisions of the Panchayat Adhiniyam and rules framed therein, to make mandatory municipal functions by the Gram Panchayats.
Apart from this, the housing scheme - "Pradhan Mantri Awas Yoja" of Central Government for all rural area development are proposed.

अनुबंध-IV

ANNEXURE-IV

जवारी मंदिर, खजुराहो, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना
Survey Plan of Javari Temple, Khajuraho, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh

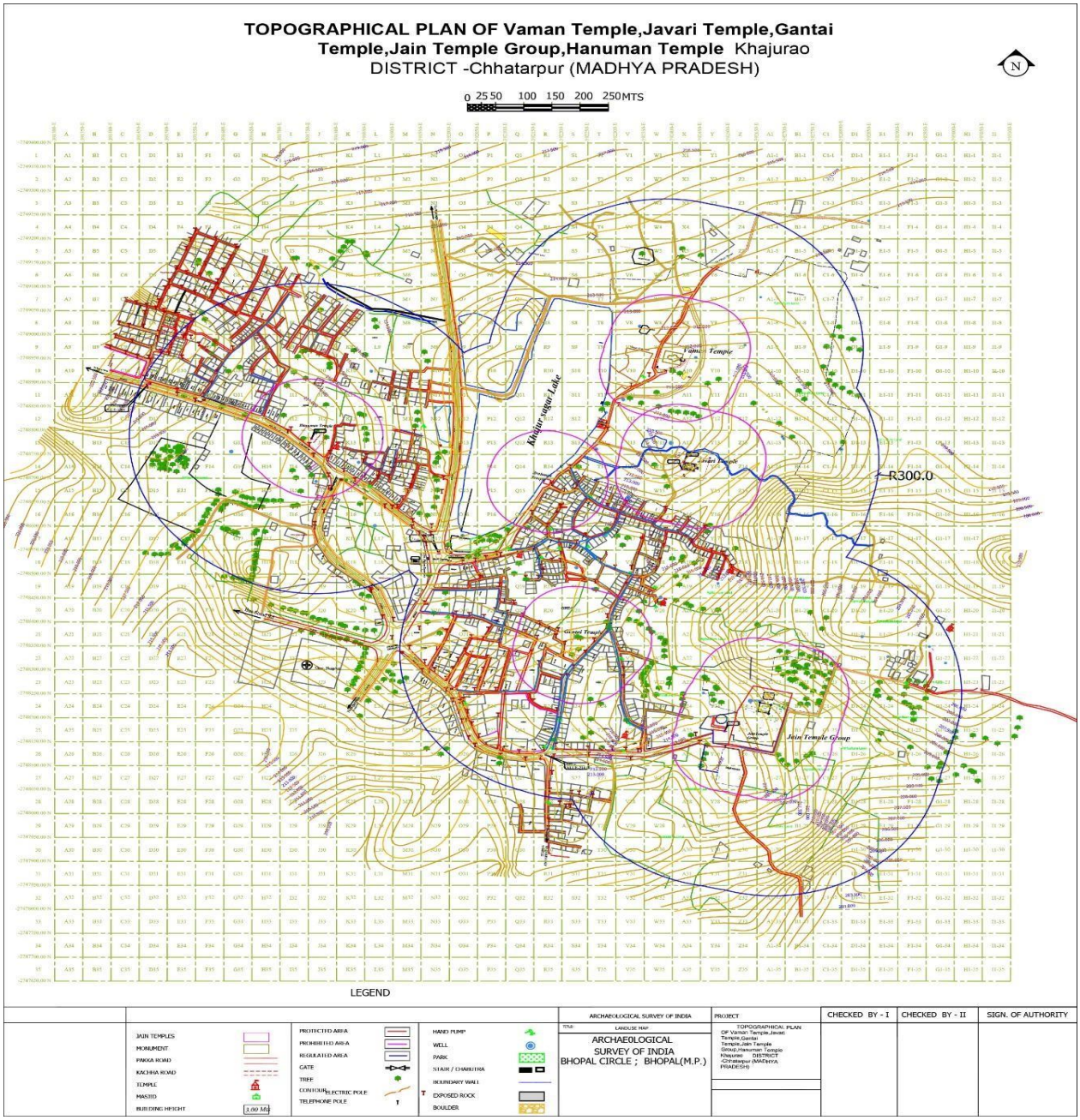

अनुबंध-V

ANNEXURE-V

खजुराहो विकास योजना
KHAJURAHO DEVELOPMENT PLAN

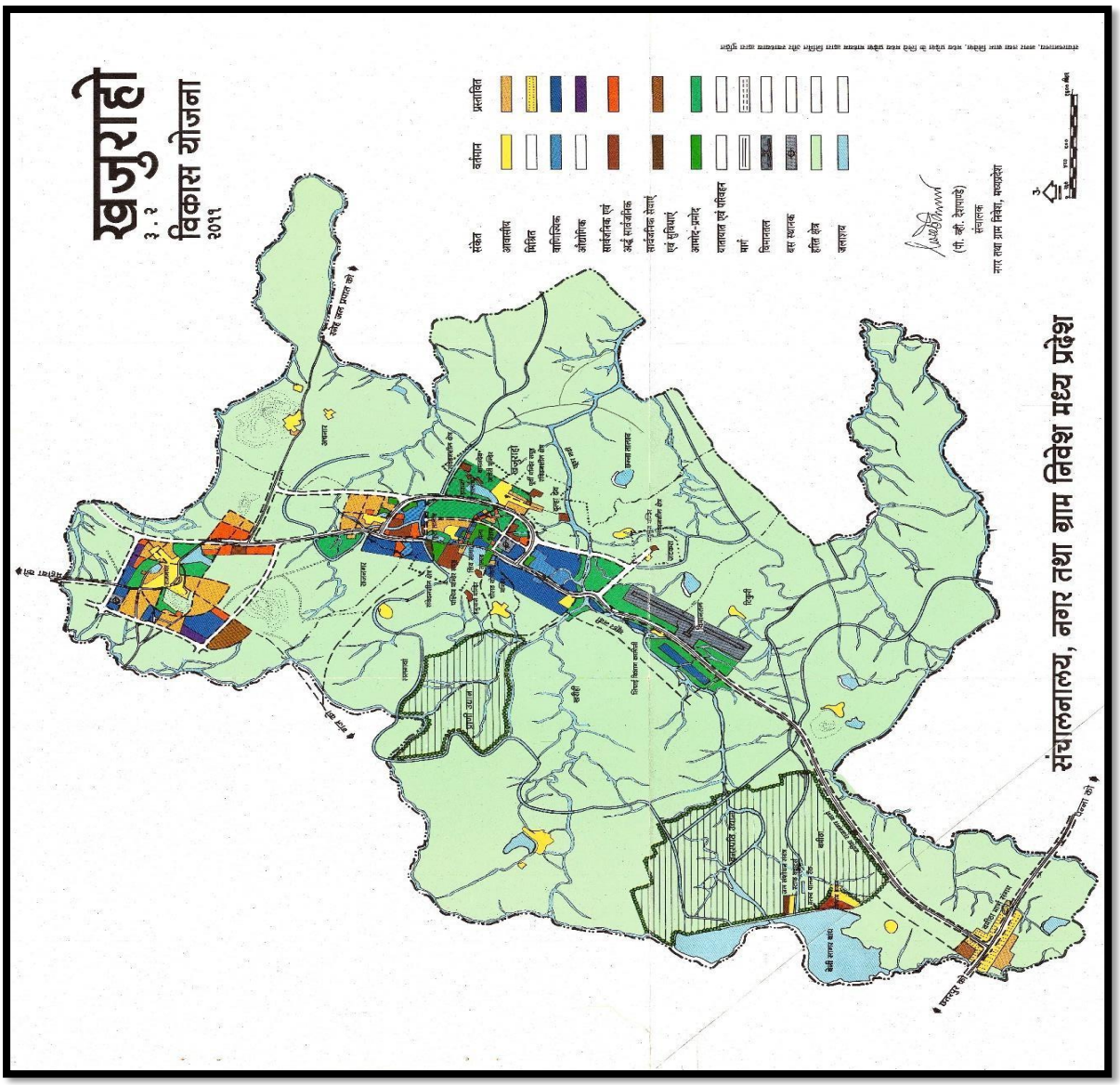

अनुबंध-VI

ANNEXURE-VI

स्मारक और इसके आस-पास के चित्र
IMAGES OF THE MONUMENT AND ITS SURROUNDINGS

पट्ट (प्लेट) 1: उत्तर-पूर्वी दिशा से चौकी पर निर्मित जवारी मंदिर का दृश्य

Plate 1, View of the Javari Temple raised on plinth from north-east direction

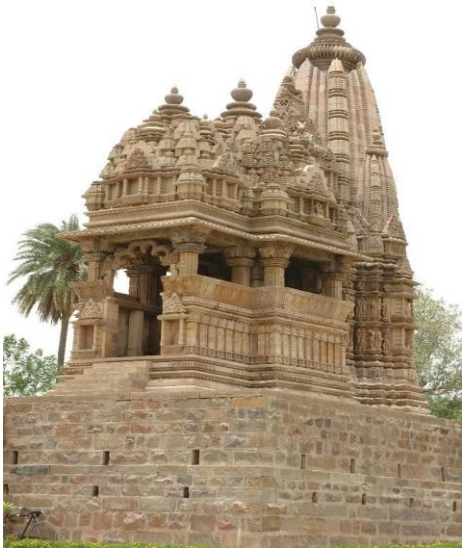

पट्ट (प्लेट) 2: मंदिर की मुख्य संरचना का दृश्य

Plate 2 :View of the temple's main structure

पट्ट (प्लेट) 3: मकर-तोरण और कीर्तिमुख के साथ प्रवेश द्वारमुख का दृश्य

Plate 3: View of the entrance porch with Makaratorana and Kirtimuk

पट्ट (प्लेट) **4***: गर्भगृह के प्रवेशद्वार पर मौजूद उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्तियों का दृश्य*

Plate 4 :View of the exquisitely carved sculptures present on the entrance of the sanctum

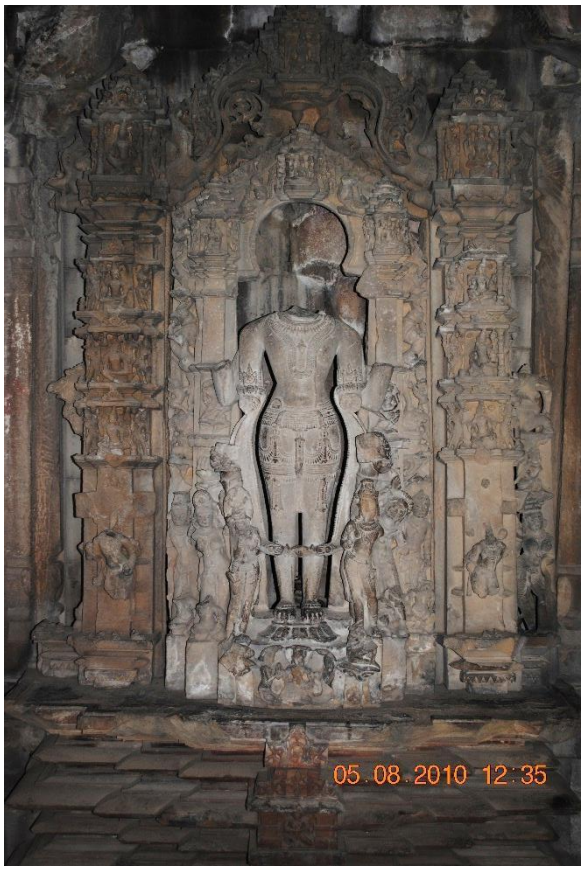

पट्ट (प्लेट) 5: गर्भगृह के अंदर मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति का दृश्य, जिसका सिर टूट चुका है।

Plate 5: View of statue of the Lord Vishnu present on the entrance of the sanctum present inside the sanctum with broken head.